सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 9, शनिवार, शाके 1942- अक्टूबर 31, 2020 *Kartika 9, Saturday , Saka 1942- October 31, 2020*	

भाग 3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से
पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2020

संख्या एफ. 13(32)विशा/विस/2020:- आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 जैसा कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया,सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No.32 of 2020

THE ESSENTIAL COMMODITIES (SPECIAL PROVISIONS AND RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2020

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend and add special provisions in the Essential Commodities Act, 1955 and the Essential Commodities (Amendment) Act, 2020, in their application to the State of Rajasthan, with a view to protect consumers from hoarding and black-marketing of agricultural produce and to secure and protect the interests and livelihood of farmers and farm labourers as also all others engaged in agriculture and related activities.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Essential Commodities (Special Provisions and Rajasthan Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and

(b) "State Government" means the State Government of Rajasthan.

(2) Words and expressions used but not defined in this Act but defined in the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act No. 10 of 1955), in its application to the State of Rajasthan, shall have the same meaning as assigned to them in that Act.

3. Amendment of section 1, Central Act No. 22 of 2020.- For the existing sub-section (2) of section 1 of the Essential Commodities (Amendment) Act, 2020 (Central Act No. 22 of 2020), the following shall be substituted, namely:-

"(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.".

4. Amendment of section 3, Central Act No. 10 of 1955.- After the existing second proviso to sub-section (1A) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, the following shall be added, namely:-

"Provided also that the State Government, shall also have the power to order for regulating or prohibiting the production, supply, distribution, imposing stock limits under extraordinary circumstances, which may include famine, price rise, natural calamity or any other situation.".

5. Power of State Government to give directions.- The State Government may, from time to time, issue such directions to the authorities as it may deem fit, for giving effect to the provisions of this Act and it shall be the duty of all the authorities to comply with such directions.

6. Overriding effect.- The provisions of this Act shall have overriding effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

7. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid before the House of the State Legislature as soon as may be after it is made, while it is in the session. The Legislature may make any modification in any rule or annul any rule and the rule shall thereafter have the effect only in such modified form or be of no effect as the case may be so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Parliament has passed the Essential Commodities (Amendment) Act, 2020 (Central Act No. 22 of 2020) On 27th September 2020 by inserting a new sub-section (1A) in section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act No. 10 of 1955). Section 3 of the Central Act No. 10 of 1955 empowers the Central Government to control production, supply and distribution of Essential Commodities. Newly inserted sub-section (1A) broadly provides that Central Government may regulate the supply of food stuff under extra ordinary circumstances and stock limit of agricultural produce subject certain conditions.

'Production, Supply and Distribution of Goods' is a state subject under entry 27 of List II-State List read with entry 33 of List III - Concurrent List given in the Seventh Schedule to the Constitution of India. Therefore the onus lies upon the State Government to protect consumers from hoarding and black-marketing of agricultural produce including vegetables, fruits, etc., and also to take action against those indulging in such activities but the newly inserted sub-section (1A) of section 3 of the Central Act, 1955 seeks to give unlimited power of stocking essential commodities and trading in them to the peril of the agricultural community and consumers but does not allow the State Government to act against and penalize hoarders and black-marketers.

The State Government is of the considered view that certain provisions should be made in the Essential Commodities Act, 1955, in its application to the State of Rajasthan, to empower the State Government to regulate the production, supply, distribution and stock limits under extraordinary circumstances.

Accordingly, the Essential Commodities Act, 1955, in its application to State of Rajasthan, is proposed to be amended suitably by the Essential Commodities (Special Provisions and Rajasthan Amendment) Bill, 2020.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill

further to amend and add special provisions in the Essential Commodities Act, 1955 and the Essential Commodities (Amendment) Act, 2020, in their application to the State of Rajasthan, with a view to protect consumers from hoarding and black-marketing of agricultural produce and to secure and protect the interests and livelihood of farmers and farm labourers as also all others engaged in agriculture and related activities.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

2020 का विधेयक **सं.32**

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

कृषि उपज की जमाखोरी और चोर बाजारी से उपभोक्ताओं का संरक्षण करने और कृषकों तथा कृषि श्रमिकों और कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए अन्य समस्त व्यक्तियों के भी हितों और आजीविका की सुरक्षा और संरक्षण करने की दृष्टि से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने और उसमें विशेष उपबंधों को जोड़ने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(ख) "राज्य सरकार" से राजस्थान राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये किन्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के, इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 22 की धारा 1 का संशोधन.- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 1 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।"।

4. 1955 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 10 की धारा 3 का संशोधन.- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1क) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि राज्य सरकार को, असाधारण परिस्थितियों जिनमें अकाल, कीमत वृद्धि, प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य स्थिति सम्मिलित है, के अधीन उत्पादन, प्रदाय, वितरण, स्टॉक सीमा अधिरोपित करने को विनियमित करने या उनका प्रतिषेध करने के आदेश प्रदान करने की शक्ति होगी।"।

5. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति.- राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए, समय-समय पर, प्राधिकारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जैसाकि वह उचित समझे और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना उन समस्त प्राधिकारियों का कर्तव्य होगा।

6. अध्यारोही प्रभाव.- इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, अध्यारोही प्रभाव होगा।

7. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जायेगा। विधान-मण्डल किसी नियम में कोई भी उपान्तरण कर सकेगा या किसी नियम को बातिल कर सकेगा और तत्पश्चात् वह नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संसद् ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 3 में नयी उप-धारा (1क) को अंत:स्थापित करके आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) 27 सितम्बर, 2020 को पारित किया है। 1955 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 10 की धारा 3 केन्द्रीय सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण को नियंत्रित करने के लिए सशक्त करती है। नयी अंत:स्थापित उप-धारा (1क) मौटे तौर पर यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार असाधारण परिस्थितियों के अधीन खाद्य पदार्थ के प्रदाय को और कतिपय शर्तों के अध्यधीन कृषि उपज की स्टॉक सीमा को विनियमित कर सकेगी।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गयी सूची 3 - समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के साथ पठित सूची 2 - राज्य सूची की प्रविष्टि 27 के अधीन 'माल का उत्पादन, प्रदाय और वितरण' राज्य का विषय है। इसलिए सागभाजी, फलों इत्यादि सहित कृषि उपज की जमाखोरी और चोर बाजारी से उपभोक्ताओं का संरक्षण करने और ऐसे क्रियाकलापों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भार राज्य सरकार पर होता है किन्तु केन्द्रीय अधिनियम, 1955 की धारा 3 की नयी अंत:स्थापित उप-धारा (1क) कृषि समुदाय और उपभोक्ताओं को संकट में डालकर आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक रखने और उनका व्यापार करने की असीमित शक्ति देने के लिए ईप्सित है, किन्तु राज्य सरकार को जमाखोरों और चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने और दण्डित करने की आज्ञा नहीं देती है।

राज्य सरकार का यह सुविचारित मत है कि असाधारण परिस्थितियों के अधीन उत्पादन, प्रदाय, वितरण और स्टॉक सीमा को विनियमित करने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में, कतिपय उपबंध किये जाने चाहिएं।

तदनुसार, आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में, यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

कृषि उपज की जमाखोरी और चोर बाजारी से उपभोक्ताओं का संरक्षण करने और कृषकों तथा कृषि श्रमिकों और कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए अन्य समस्त व्यक्तियों के भी हितों और आजीविका की सुरक्षा और संरक्षण करने की दृष्टि से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने और उसमें विशेष उपबंधों को जोड़ने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।